उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

नवम्बर 06, 2007

संख्या : एफ 9 (4)/आरजी/यूईआरसी/2007/989 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2003 का अधिनियम 36) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, 2004, जो पत्रांक संख्या एफ 9(4)/आरजी/यूईआरसी/2004/255 दिनांक 22 मई, 2004 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 6 में संशोधन –

विनियम 6 के वर्तमान उप विनियम (4) के पश्चात् निम्न परिभाषा उप विनियम (5) के रूप में जोड़ी गई हैं, अर्थात् :

''(5) ऑम्बड्समैन के आदेशों का पालन न करने तथा इन विनियमों का उल्लघंन करने की दशा में आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 की उपधारा 142 एवं 146 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उचित कार्यवाही करेगा।''

आयोग की आज्ञा से

(पंकज प्रकाश)
सचिव

ये विनियम अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तर हैं। किसी भी तरह के निर्वचन(व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अंतिम मान्य होंगे।